## पर्चा डिक्री

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 215/2015**

**अनवान :**

1. सावित्री पुत्री पिथाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नाई निवासी गांधीबडी हाल जमाल तहसील भादरा चौपटा जिला सिरसा **(मृत)**
   - 1/1 मनोज पुत्री सावित्री
   - 1/2 सुमन पुत्री सावित्री
   - 1/3 मांगेराम पुत्र सावित्री
   - 1/4 सीमा पुत्री सावित्री
   - 1/5 सुनील पुत्र सावित्री

   } जाति नाई निवासीगण जमाल तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा।
2. मसर पुत्री पिथाराम पत्नी सीताराम उम्र 38 वर्ष जाति नाई निवासी गांधीबडी हाल जमाल जिला सिरसा।

**– वादीगण**

**बनाम**

1. पिथाराम पुत्र किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. नेकीराम पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. दलीप पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
5. गमसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
6. भालसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
7. महेन्द्र पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

**– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री विक्रम शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री मुकेश सैनी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 के मु0नं0 12 के किला नं0 14, 16, 17, 24, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 16 के किला नं0 9/3 की 0.064 है0, मु0नं0 17 के किला नं0 4 से 7, 14 से 18, 23, 24 की 2.7830 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 3, 8 को 0.5060 है0 किता 19 की 4.6180 है0 जिसमे नहरी 2.8220 है0 बारानी 1.7710 है0, खाला 0.0250 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले पीथाराम के बजाय वादिया सं0 1 सावित्री के वारिसान वादीगण सं0 1/1 से 1/5 का 1/9 हिस्सा, वादिया मेसर 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस**

**प्रकरण सं0 : 215/2015**

**अनवान :**

1. सावित्री पुत्री पिथाराम पत्नी ओमप्रकाश जाति नाई निवासी गांधीबडी हाल जमाल तहसील भादरा चौपटा जिला सिरसा **(मृत)**
   1/1 मनोज पुत्री सावित्री
   1/2 सुमन पुत्री सावित्री
   1/3 मांगेराम पुत्र सावित्री
   1/4 सीमा पुत्री सावित्री
   1/5 सुनील पुत्र सावित्री
   } जाति नाई निवासीगण जमाल तहसील नाथूसंरी चौपटा जिला सिरसा।
2. मेसर पुत्री पिथाराम पत्नी सीताराम उम्र 38 वर्ष जाति नाई निवासी गांधीबडी हाल जमाल जिला सिरसा।

**– वादीगण**

**बनाम**

1. पिथाराम पुत्र किरताराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. भूपसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. नेकीराम पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. दलीप पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
5. रामसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
6. भालसिंह पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
7. महेन्द्र पुत्र पिथाराम जाति नाई निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा

**– प्रतिवादीगण**

**दावा बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,92ए व 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री विक्रम शर्मा : **वादीगण**

वकील श्री मुकेश सैनी : **प्रतिवादी सं. 1 ता 7**

**निर्णय** **दिनांक :** 29.07.20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 के मु0नं0 12 के किला नं0 14, 16, 17, 24, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 16 के किला नं0 9/3 की 0.064 है0, मु0नं0 17 के किला नं0 4 से 7, 14 से 18, 23, 24 की 2.783 है0 मु0नं0 24 के किला नं0 20 की 0.253 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 3, 4, 7, 8, 13 से 15 की 1.771 है0 कुल 25 खसरा की 6.1360 है0 जिसमें नहरी 4.3010 है0 बारानी 1.7710 है0 गैर मुम रास्ता 0.0390 है0 गैरमु0 खाला 0.0250 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी पीथाराम वल्द किरताराम के नाम दर्ज है।

वादीयान एवं प्रतिवादी भूपसिंह, नेकीराम, दलीप, रामसिंह, भालसिंह, महेन्द्र प्रतिवादी सं0 1 श्री पीथाराम के पुत्र पुत्री है प्रतिवादी सं0 1 पीथाराम के पिता किरताराम की मृत्यु होने पर वादगत भूमि प्रतिवादी पीथाराम को अपने पिता किरताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी अविभाजित सम्पति है जिसमें वादीयान व प्रतिवादी सं0 2 से 7 का प्रतिवादी पीथाराम के साथ जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है। वादीयान व प्रतिवादी सं0 2 से 7 अपने पिता प्रतिवादी पीथाराम के साथ वादगत कृषि भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है परन्तु वादगत भूमि के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

राजस्व रिकार्ड में तन्हा प्रतिवादी पीथाराम का नाम परिवार का कर्ता होने के कारण दर्ज चला आ रहा है।

प्रतिवादी पीथाराम के नाम दर्ज उपर वर्णित खातेदारी कृषि भूमि में वादीयान व प्रतिवादीया सं0 2 से 7 प्रतिवादी पीथाराम के साथ बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी पीथाराम वादी को वाद भूमि में उनके हक हिस्सा से वंचित करने एवं अपने दुव्यर्सनों की पूर्ति के लिऐ वाद भूमि को परिवार की बिना किसी जायज जरूरत के रहन, बैय एवं मुन्तकिल करने पर आमादा है यदि प्रतिवादी पीथाराम ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वादीगण को ना पूरा होने वाली क्षति होगी इसलिऐ वादीगण प्रतिवादी पीथाराम वाद भूमि को रहन बैय दान या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल व खुर्द बुर्द नहीं करें एवं वादीगण को काश्त करने व करवाने में किसी प्रकार की मदाखलत बेजा नहीं करे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। सम्मान तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 ने इकबाल दावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 8 पेरोकार राज को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 सुनील के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 सम्वत् 2070 से 73 प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 1 सरदारपुरा सम्वत् 2016 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग चक 18 अमरसिंह सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं0 1 पीथाराम के पिता किरताराम की मृत्यु होने पर वादगत भूमि प्रतिवादी पीथाराम को अपने पिता किरताराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादगत भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी अविभाजित सम्पति है जिसमें वादीयान व प्रतिवादी सं0 2 से 7 का प्रतिवादी पीथाराम के साथ जन्म से हक एवं हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद वादीगण ने चक 1 एसडीआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 पीथाराम के पिता किरताराम की मृत्यु होने पर पीथाराम को अपने पिता किरताराम से विरासतन प्राप्त होना व वादीयान एवं प्रतिवादी सं0 2 से 7 का वाद भूमि में प्रतिवादी पीथाराम के साथ जन्म से हक एवं हिस्सा निहित होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी भूमि एकीकरण विभाग चक 1 सरदारपुरा सम्वत् 2016 प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवाई है जिसमें वाद भूमि वादी के दादा किरता वल्द सदु के नाम दर्ज है जिससे चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 के मु0नं0 12, 16, 17 की सम्पूर्ण व मु0नं0 2 के किला नं0 3 व 8 की वाद कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 पीथाराम को विरास्तन प्राप्त होना साबित है। किन्तु चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 के मु0नं0 24 के किला नं0 20 की 0.253 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 4, 7, 13, 14 व 15 की कृषि भूमि बाबत वादीगण के ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा पुराना दादालाई का रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे उक्त छः किले प्रतिवादी सं0 1 को अपने पिता से विरास्तन प्राप्त होना साबित हो इस प्रकार वादीगण अपना वादपत्र पूरी तरह साबित करने में असफल रहा है, इसलिए वाद वादी आंशिक डिक्री किये जाने योग्य है। वारिस प्रमाण पत्र में पीथाराम के वारिसान में पत्नि प्रभाती फौत होना, 6 पुत्र भूपसिंह, नेकीराम, दलीपसिंह, रामसिंह, महेन्द्रसिंह, भालसिंह, दो पुत्रियां सावत्री व मेशर जिनमें से सावत्री फौत होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है।

अत : वाद वादीगण आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 एसडीआर के खाता सं0 42/44 के मु0नं0 12 के किला नं0 14, 16, 17, 24, 25 की 1.265 है0 मु0नं0 16 के किला नं0 9/3 की 0.064 है0, मु0नं0 17 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ)

किला नं0 4 से 7, 14 से 18, 23, 24 की 2.7830 है0 मु0नं0 25 के किला नं0 3, 8 की 0.5060 है0 किता 19 की 4.6180 है0 जिसमें नहरी 2.8220 है0 बारानी 1.7710 है0, खाला 0.0250 है0 कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में अकेले पीथाराम के बजाय वादिया सं0 1 सावित्री के वारिसान वादीगण सं0 1/1 से 1/5 का 1/9 हिस्सा, वादिया मेसर 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 ता 7 प्रत्येक 1/9–1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् रखी जावे। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी भादरा

29.7.19

(सखाराम पिपड़ेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़